



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51459

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6106/2026

रमा कांत

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार सरोज, करिश्मा निगम

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

सुधार आवेदन संख्या 2, वर्ष 2026

1. दिनांक 23.2.2026 के आदेश में आवश्यक सुधार हेतु एक सुधार आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. आवेदक/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. अभिलेख के साथ-साथ दिनांक 23.2.2026 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में गलत आदेश अंकित हो गया है। अतः दिनांक 23.2.2026 का आदेश वापस लिया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद को यह निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 25.6.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में, ग्राम देवालि, परगना मह, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद में स्थित आराजी संख्या 346 के सीमांकन को बहाल करें।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु आज तक उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 30.9.2025 के अभ्यावेदन पर भी भरोसा जताया है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा न्याय के हित में भी, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष सभी आवश्यक कागजात और दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक नया आवेदन प्रस्तुत करें। यदि ऐसा आवेदन तीन सप्ताह के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 अगले चार सप्ताह के भीतर, पूर्णतः विधि के अनुरूप उचित आदेश पारित करेगा।

12 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”